



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹27,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 203/2021 धारा- 304,324,326,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सर्वेश वर्मा पुत्र नत्थू वर्मा निवासी ग्राम हैदरगंज कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹27,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री जगदीश
अनुरागी



विवेचक-
उ0नि0 प्रह्लाद



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव